राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA
(An Institute of National Importance under MHRD)
बिजनी कॉमपलेक्स,लैटमुखाह,शिलांग-793007(भारत) Bijni Complex, Laitumkhrah, Shillong – 793003 (India)
दूरभास.Ph: +91-364-2501294 फैक्स Fax: +91-364-2501113Website: www.nitm.ac.in

संदर्भ सं. Ref. NoNITMEGH/ES/RAJBHASHA/I/2018-19 1287 दिनांक Dated 06.02.2019

Office Order

Sub: Follow-up action on the decision taken in 1st Official Language Implementation Committee of NIT Meghalaya held on 22.01.2019 regarding bilingual letters/documents and replies to the letters.

The Minutes of the 1st Official Language Implementation Committee of NIT Meghalaya has already been circulated on 31.01.2019 to all the Members, Faculty and Staff.

Following decisions have been taken by the competent authority for issue of bilingual letters/documents and replies to the letters in Hindi.

1. Regarding compliance to ***Section 3(3) of Official Language Act 1963***, specified documents as ***General Orders, Memorandums, Notifications, Circulars, Notices, Press Communiqués, Tender Notices and Forms of Tender etc.*** are required to be issued in bilingual.

2. As per the Rule 4 of ***Official Language Rule 1976*** and ***Annual Programme*** 55% of originating letters from the Institute is required to be sent in bilingual and 30 % of the noting written in the files should be in Hindi.

3. The Rule 5 of ***Official Language Rule 1976*** implies that letters received in Hindi should invariably be replied to in Hindi only.

In view of the above, to facilitate translation of letters/office memorandums/notifications etc into Hindi, all concerned are hereby advised to mark CC of such letters and documents to Hindi Section and ensure to get translated and signed in bilingual by the authorized signatory for dispatching to destination addressee.

All such letters should be segregated at appropriate levels at Diary and Dispatch at Front Office and Academic Section respectively and a Guard File be maintained by them to keep a copy of such documents for record purpose.

The data so maintained should be made available to Hindi Section on quarterly basis for compilation of Quarterly Hindi Reports which is mandatory to be furnished to MHRD and Department of Official Language.

Compliance to the provisions of this Official Language Act 1963 is statutory obligation, which should be noted by all concerned.

(B.N. Choudhury)
Registrar

To,
1. Secretary to the Director, NIT Meghalaya for kind information of the Director.

2. All the Members OLIC, NIT Meghalaya.	5. All Faculty and Staff of NIT Meghalaya.
3. All the Deans, NIT Meghalaya	6. e-notice board.
4. All Heads of Faculty, NIT Meghalaya	7. Concerned file.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA
(An Institute of National Importance under MHRD)
बिजनी कॉमपलेक्स,लैटमुखराह,शिलांग-793007(भारत) Bijni Complex, Laitumkhrah, Shillong – 793003 (India)
दूरभास.Ph: +91-364-2501294 फैक्स Fax: +91-364-2501113Website: www.nitm.ac.in

संदर्भ सं. Ref. NoNITMEGH/ES/RAJBHASHA/I/2018-19/1287(A) दिनांक Dated06.2.2019

कार्यालय आदेश Office Order

विषय: राप्रौसं मेघालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.01.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निणर्यों - द्विभाषी एवं हिन्दी में पत्र जारी करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में ।

दिनांक 22.01.2019 को आयोजित राप्रौसं मेघालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक काकार्यवृत सभी सदस्य, संकाय एवं कर्मचारियों को 31.01.2019 को परिचालित कर दी गई है।

इस संबंध में पत्रों / दस्तावेजों के प्रेषण एवं हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. राजाभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में विर्निदिष्ट दस्जावेज यथा सामान्य आदेश, अनुदेशों, ज्ञापन, परिपत्र, सूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं एवं निविदा के प्रपत्र आदि को द्विभाषी में जारी किया जाना आवश्यक है।

2. राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के अनुसार एवं वार्षिक कार्यक्रम में तहत् 55% पत्रों को जो संस्थान से मूल रूप में जारी किए जाते हैं द्विभाषी में भेजना आवश्यक है साथ ही इसी के अनुरूप फाईलों में लिखे जाने वाले 30 % टिप्पणियां हिन्दी में होनी चाहिए।

3. राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर निर्विवाद रूप से हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में दस्तावेजों एवं पत्रों को द्विभाषी में अनुवाद करने की सुविधा के लिए सभी संबंधितों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे सभी दस्तावेजों एवं पत्रों की प्रतियां हिन्दी अनुभाग को अनुवाद के लिए दें एवं उन्हें प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से हस्ताक्षरित द्विभाषी में हस्ताक्षरित कराकर प्राप्तकर्ता के गंतव्य में प्रेषण करना सुनिश्चित करें ।

ऐसे सभी पत्रों को फ्रॉट आफिस में डायरी एवं डिस्पैच तथा शैक्षणिक अनुभागों में उपयुक्त स्तर पर अलग कर लिया जाए एवं आवश्यक कर्रवाई कराकर ऐसे दस्तावेजों को रिकार्ड के लिए गार्ड फाईल खोलकर उनका रखरखाव किया जाए।

साथ ही प्रत्येक तिमाही में हिन्दी तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन आंकड़ों को समेकित करने के लिए हिन्दी अनुभाग को दिया जाए जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग को भेजना अनिवार्य है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 में विहित प्रावधानों का अनुपालन एक संवैधानिक दायित्व है इसे सभी संबंधितों के द्वारा नोट किया जाए।

बि एन चौधुरी
(बि.एन. चौधुरी)
कुल सचिव

सेवा में: 1.निदेशक,राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान मेघालय के सूचनार्थ निदेशक के सचिव को प्रेषित ।

2. राभाकास के सभी सदस्य राप्रोसं मेघालय।	5.सभी संकाय एवं कर्मचारी,राप्रोसं मेघालय।
3. सभी संकाय अध्यक्ष (डीन), राप्रोसं मेघालय।	6. ई-नोटिस बोर्ड, राप्रोसं मेघालय।
4. सभी विभाग अध्यक्ष, राप्रोसं मेघालय।	7. संबंधित फाईल